135

उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त संख्या–1 के उल्लंघन संबंधी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 1252/14–बी–503/61 दिनांक– 25.04.1964 द्वारा 3.79 हे0 वन भूमि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु 25 वर्षो के लीज पर दिनांक–01.04.1963 से 31.03.1988 तक हस्तान्तरित की गयी थी ।

उक्त लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ0सी0/407 दिनांक– 23.05.1995 द्वारा 5(पॉच) शर्तो के अधीन तथा अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–2 के आदेश संख्या– जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 लखनऊ दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तो के अधीन 25 वर्षो हेतु **दिनांक–01.04.1988 से 31.03.2013** तक के लिए लीज का नवीनीकरण मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट के पक्ष में किया गया ।

दिनांक– 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल डिवीजन रेनुकूट के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि, "मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट केमिकल्स डिवीजन रेनुकूट को चालू हालत में उसी प्रयोजन हेतु दे दिया जाय" जबकि उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 के शर्त संख्या– 1 में उल्लिखित है कि , " उक्त संस्थान भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियो को हस्तान्तरित नही करेगा " ।

इस प्रकार मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा बिना राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किये मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0/मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को समान प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया जो उल्लंधन की श्रेणी में आता है ।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट